समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत बालिका शिक्षा हेतु संचालित कार्यक्रम
सत्र 2019–20

1. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय

अवधारणा एवं उद्देश्य –

केजीबीवी विद्यालयों का उद्देश्य वंचित वर्ग की उन बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना है, जो कठिन परिस्थितियों और दुर्गमवास स्थलों में रहते हुए किसी कारणवश (यथा सामाजिक, पारिवारिक आदि) विद्यालय नही जा सकीं अथवा जिनकी आयु कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं से अधिक हो चुकी है। केजीबीवी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक तथा बीपीएल परिवारों की बालिकाओं के लिए विद्यालयों के साथ निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाती है।

> 2001 की जनगणना अनुसार सभी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉको में जहां ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है एवं जहां साक्षरता में जेण्डर गेप राष्ट्रीय औसत से अधिक है वहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है।

संरचना –

समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सत्र 2019–20 में राजस्थान में कुल 319 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का संचालन निम्नानुसार किया जा रहा हैं। वर्तमान में 319 केजीबीवी में लक्ष्य 38,700 बालिकाओं के लक्ष्य के विरूद्ध 38,760 बालिकाऐं लाभान्वित हो रही हैं।

Districts	KGBV Type-1 (Class 6-8)		KGBV Type-3 (Class 6-12)			KGBV Type-4 (Class 9-12)	Grand Total
	For 100 Girls	Total	For 200 Girls	For 250 Girls	Total	For 100 Girls	
33	91	132	107	2	109	119	319

केजीबीवी में बालिकाओं हेतु सुविधाएं

- सभी बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा एवं सुरक्षित आवास व्यवस्था।
- सभी बालिकाओं को दोनों समय मेन्यू अनुसार भोजन तथा नाश्ते की व्यवस्था।
- पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री।
- विद्यालय पोशाक, रंगीन पोशाक, ब्लेजर, जूते–मोजे एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुएं (कक्षा 6 से 8 हेतु)
- दैनिक उपयोगी वस्तुएं यथा साबुन, तेल, तौलिया, टूथ–पेस्ट, कंघा, चप्पल, सेनेटरी नेपकिन इत्यादि।
- प्रतिमाह 150/– स्टाइफण्ड राशि (कक्षा 6 से 8 हेतु)

केजीबीवी में किये जा रही महत्वपूर्ण पहल

- बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण।
- एन.आई.ओ.एस. के माध्यम से बालिकाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण पर सर्टिफिकेट कोर्स (कटिंग, टेलरिंग एण्ड ब्यूटी कल्चर)।(कक्षा 6 से 8 हेतु)
- स्काउट–गाईड गतिविधि।(कक्षा 6 से 8 हेतु)
- खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओ को विद्यालय स्तर से राज्य स्तर तक आयोजन।
- केजीबीवी विद्यालयों में शैक्षिक किशोरी मेलों का आयोजन।
- केजीबीवी छात्राओं हेतु अन्तर जिला भ्रमण कार्यक्रम।(कक्षा 6 से 8 हेतु)
- बालिकाओं की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता हेतु चौकीदार के अतिरिक्त समस्त स्टाफ महिला।